

# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

( बिहार सरकार का उपक्रम )

कॉर्पोरेट पहचान सं०(CIN)-. U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय-कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5

अरविन्द कुमार गुप्ता  
भा०पु०से०(से०नि०)  
सचिव



दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2223727  
मोबाईल नं० : 9471006810  
ई-मेल : policenigam@bihar.gov.in

सं०सं०-XXIII/EST-MISC-16/2017

पटना, दिनांक-.....2026

## कार्यालय आदेश संख्या-.....350/2026

कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के धारा-4 (1) के अनुसार किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश के द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" का गठन किया जाना है।

अधिनियम की धारा-4(3) के अनुसार अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियोक्ता द्वारा नामित करने की तिथि से 3 वर्षों का होगा।

उपर्युक्त अधिनियम के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं०-205/2023 दिनांक-01.06.2023 द्वारा गठित समिति की कार्यावधि 03 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त निगम में महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अधिनियम की धारा-4(2) के आलोक में "आंतरिक परिवाद समिति" का पुर्नगठन निम्नवत किया जाता है:-

क्र०	नाम/पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य	मोबाईल नं०	ईमेल आई०डी०
1.	सुश्री श्रुति भारतिया, सहायक वास्तुविद	अध्यक्ष	8809503488	shrutibhartiya935@gmail.com
2.	सुश्री पूजा कुमारी, कनीय अभियंता (असैनिक)	सदस्य	9801077483	pujakumarig92@gmail.com
3.	श्री उत्कर्ष, सहायक अभियंता (असैनिक)	सदस्य	8319964425	utkarsh.civil114@gmail.com
4.	श्रीमती संजू सिंह, अधिवक्ता, Senior Advocacy Advisor at Nyay Network Bihar	बाह्य सदस्य	9386154906	ssingh@nyay.net

आंतरिक परिवाद समिति, प्राप्त शिकायतों पर अधिनियम की धारा 11,12,13,14 एवं 15 के आलोक में जाँच कर कार्रवाई करेगी तथा धारा-21 के तहत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में प्राप्त शिकायतों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट सी०एम०डी० के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेगी।

2. वर्तमान में निगम में कुल-28 महिला पदाधिकारी/कर्मि कार्यरत हैं। इसमें 22 महिला पदाधिकारी/कर्मि निगम, मुख्यालय में पदस्थापित हैं। 02 महिला पदाधिकारी/कर्मि पटना प्रमण्डल, 02 महिला पदाधिकारी/कर्मि राजगीर प्रमण्डल, 01 महिला पदाधिकारी/कर्मि दरभंगा प्रमण्डल तथा 01 महिला पदाधिकारी/कर्मि मगध प्रमण्डल में कार्यरत हैं।

3. अतः उपर्युक्त गठित आंतरिक परिवाद समिति बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम मुख्यालय सहित सभी प्रमण्डलीय कार्यालय के लिये भी आंतरिक परिवाद समिति के रूप में कार्य करेगी। प्रमण्डलीय कार्यालय का उपर्युक्त अधिनियम के तहत परिवाद, समिति के अध्यक्ष सुश्री श्रुति भारतिया को उनके ई-मेल आई०डी०-shrutibhartiya935@gmail.com पर भी भेजा जा सकता है।

पुलिस महानिदेशक सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के आदेश से,

ह०/-  
सचिव

ज्ञापांक ..... / पटना, दिनांक - .....2026  
प्रतिलिपि:- सुश्री श्रुति भारतिया, सहायक वास्तुविद/सुश्री पूजा कुमारी, कनीय अभियंता (असैनिक) एवं श्री उत्कर्ष, सहायक अभियंता (असैनिक), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रीमती संजू सिंह, अधिवक्ता, Senior Advocacy Advisor at Nyay Network Bihar, email- ssingh@nyay.net को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सचिव


ज्ञापांक No 2114 ..... / पटना, दिनांक - 23/01 .....2026  
प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ।

2. मुख्य अभियन्ता/प्रशासनिक पदाधिकारी/वित्तीय सलाहकार/अधीक्षण अभियन्ता, मोनेटरिंग/अधीक्षण अभियन्ता, अंचल-1 एवं 2/मुख्य लेखा पदाधिकारी/कार्यपालक अभियन्ता, गुणनियंत्रण, मोनेटरिंग एवं बी0ओ0क्यू0/कार्यपालक अभियन्ता, सभी कार्य प्रमण्डल/वास्तुविद/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत प्रमण्डल/संरचना परामर्शी एवं कंपनी सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. निगम के कार्यरत सभी महिला कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री जितेन्द्र गिरि, वरीय निजी सहायक को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5. आगत निर्गत शाखा के प्राधिकृत कर्मी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के सूचना पट्ट पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

  
सचिव